II

**बिहार सरकार**

**<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>**

पत्रांक 356324 पटना, दिनांक 23/02/18

ग्रा०वि०-5/इं०आ०यो०(प्रशा० व्यय)-106-09/2015

प्रेषक,

**राहुल रंजन महिवाल,** भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

**<u>सभी जिला पदाधिकारी</u>,**
**सभी उप विकास आयुक्त ।**

**विषय :-** **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मियों एवं लाभार्थियों के लिए प्रखण्ड स्तर पर कार्यशाला आयोजन के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-347449 दिनांक-10.01.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मियों एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लाभार्थियों को योजना से संबंधित जानकरी से अवगत कराने के लिए दिनांक 10.02.2018 तक प्रखण्ड स्तर पर कार्यशाला आयोजन कराने का निदेश दिया गया था । उक्त विभागीय निदेश के आलोक में कार्यशाला का आयोजन संबंधी फोटो आदि Whatsapp पर भेजे जा रहे हैं किन्तु यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सभी प्रखण्डों में कार्यशाला का आयोजन करा लिया गया है । यहां स्पष्ट करना है कि यह कार्यशाला योजना से संबंधित कर्मियों एवं लाभार्थियों के लिए लाभकारी है ।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि कार्यशाला पर होने वाले व्यय का वहन हेतु कतिपय जिलों द्वारा निधि की मांग की जा रही है किन्तु अधियाचना के साथ कार्यशाला आयोजन संबंधी कार्य योजना का विवरण एवं प्रशासनिक व्यय हेतु जिला में उपलब्ध राशि की जानकारी नहीं दी जा रही है ।

प्रासंगिक विभागीय पत्र की कंडिका-11 में स्पष्ट किया जा चुका है कि "कार्यशाला पर होने वाले व्यय का वहन जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक मद में उपलब्ध निधि से किया जायेगा । यदि किसी जिला में अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो तो इसके लिए विभाग से अधियाचना की जायेगी ।"

अत: अनुरोध है कि जिन प्रखण्डों में कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जा सका हो उन प्रखण्डों में शीघ्रातिशीघ्र कार्यशाला का आयोजन पूरा करा लिया जाय तथा कार्यशाला आयोजन के लिए यदि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो तो जिला में उपलब्ध निधि की जानकारी सहित अतिरिक्त निधि की अधियाचना विभाग से की जाय । साथ ही कार्य योजना का विस्तृत विवरण भी अधियाचना के साथ संलग्न किया जाय ।

विश्वासभाजन
23-2-18
**(राहुल रंजन महिवाल)**
सरकार के विशेष सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2103.doc